

न्यायालय:द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)
(समक्ष: मोहम्मद अज़हर)
दांडिक अपील क्र.-237/16
प्रस्तुति/संस्थित दिनांक-14/12/16

1. मेहरबानसिंह कुशवाह पुत्र चतुरी कुशवाह,
आयु 74 साल
2. कलियान सिंह कुशवाह पुत्र लच्छीराम कुशवाह
आयु 33 साल
3. संतोष कुशवाह पुत्र लच्छीराम कुशवाह, आयु
32 साल
4. कैलाश कुशवाह पुत्र लच्छीराम कुशवाह, आयु
28 साल निवासीगण धनाई मोहल्ला, मौ
परगना मौ जिला भिण्ड म0प्र0

.....**अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण**

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस आरक्षी केन्द्र मौ
जिला भिण्ड म0प्र0

.....**प्रत्यर्थी**

राज्य द्वारा श्री बी0एस0 बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक।
अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा श्री आर.पी.एस. गुर्जर अधिवक्ता।

// निर्णय //

(आज दिनांक 07/07/2017 को घोषित किया गया)

1. यह अपील धारा-374 दं0प्र0सं0 के तहत न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड (श्री पंकज शर्मा) के मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 465/14, अपराध क्रमांक 122/14 अंतर्गत धारा-451, 323, 294, 506 सहपठित 34 भा0द00सं0 उनमान पुलिस आरक्षी केन्द्र मौ बनाम मेहरबानसिंह कुशवाह एवं अन्य में द घोषित निर्णय व दण्डादेश दि0-15/11/2016 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है, जिसके तहत अपीलार्थी/अभियुक्तगण मेहरबानसिंह कुशवाह, कलियान सिंह, संतोष कुशवाह एवं कैलाश कुशवाह को धारा-323 सहपठित 34 भा0द00सं0 के आरोप में दोषसिद्ध ठहराते हुए तीन-तीन माह के कठिन कारावास और 100-100 रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा-294 भा0द0सं0 के आरोप में दोषसिद्ध करते हुए 100-100 रुपये के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर पांच-पांच दिवस का कठिन कारावास

अतिरिक्त रूप से भुगताये जाने के दण्ड से दण्डित किया है।

2. अभियोजन के अनुसार फरियादी भगवानसिंह कुशवाह एवं अभियुक्त कैलाश के मध्य केस न्यायालय में विचाराधीन था, जिसकी दि०-28/03/2014 को तारीख पेशी थी। इसी बात पर से दि०-28/03/2014 को शाम 06:00 बजे के लगभग धनाई मोहल्ला मौ में फरियादी भगवानसिंह के दवाजे पर अपीलार्थी/अभियुक्तगण कैलाश कुशवाह, संतोष कुशवाह, कलियान उर्फ करन कुशवाह तथा मेहरबानसिंह कुशवाह एक साथ आये और मां की अश्लील गाली देते हुए कैलाश ने कहा कि तारीख पर क्यों गये ? तब भगवानसिंह ने उसे गालियां देने से मना किया, तभी कैलाश, संतोष, कलियान ने भगवानसिंह की लात घूँसों से मारपीट कर दी, जिससे उसके गालों में, पीठ में, कमर में तथा दोनों जाँघों में मुँदी चोटें आयीं। मेहरबानसिंह और कैलाश ने मां की अश्लील गाली देते हुए कहा कि यदि रिपोर्ट करने गया तो जान से खत्म कर देंगे। उक्त घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी.-1 थाना मौ में की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्र०-122/2014 अंतर्गत धारा-451, 323, 294, 504 एवं 34 भा०द०सं० के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
3. दौराने अनुसंधान दि०-29/03/2014 को घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी.-2 बनाया गया। उसी दिनांक को कमलसिंह एवं फरियादी भगवानसिंह का कथन लिया गया। दि०-01/04/2014 को पातीराम का कथन लिया गया। उसी दिनांक को लालू का प्रदर्श डी.-1 का कथन लिया गया। अभियुक्तगण को प्रदर्श पी.-3 लगायत पी.-6 के गिरफ्तारी पंचनामा से गिरफ्तार किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध पाते हुए अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
4. विचारण न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेने के पश्चात अपीलार्थी/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-451, 294, 323 सहपठित 34 एवं 506 भा०द०सं० के तहत आरोप विरचित कर अभियुक्तगण को पढकर सुनाए व समझाए जाने पर अपराध करना अस्वीकार किया गया। जिसके कारण मामले का विचारण किया गया तथा उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को भा०द०सं० की धारा-294, 323 सहपठित धारा 34 के तहत दोषसिद्ध करते हुए प्रश्नगत दण्डादेश से दण्डित किया गया। उक्त दण्डादेश के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है तथा निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी/अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जावे और अर्थदण्ड की राशि वापिस दिलाई जावे।
5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त अपर लोक अभियोजक ने प्रश्नगत निर्णय का समर्थन करते हुए अपील खारिज करने पर बल दिया है तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के दोषसिद्ध एवं दण्डादेश को यथावत् रखने का निवेदन किया है।

6. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया गया, जिससे इस अपील के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न निम्न प्रकार है:-

“क्या प्रश्नगत दोषसिद्धि या दण्डाज्ञा इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप योग्य है?”

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

7. अभियुक्तगण की ओर से अपील मेमो में एवं अंतिम तर्क के दौरान यह आधार लिये गये हैं कि विचारण न्यायालय का उक्त आलोच्य आदेश विधि विधान, साक्ष्य तथा रिकॉर्ड के विपरीत होकर निरस्ती योग्य है। साक्षियों ने यह नहीं बताया है कि अभियुक्तगण ने क्या गालियां दी, किस हथियार से मारपीट की। फरियादी ने पूर्व रंजिश को स्वीकार किया है। बटाई के झगड़े और रंजिश पर से झूठा फंसाया गया है। भगवानसिंह अ.सा.-2 सुनी सुनाई साक्ष्य बताता है। कमलसिंह अ.सा.-3 यह बताता है कि घटना के समय वह घटनास्थल पर नहीं था। पातीराम अ.सा.-4 ने घटना का कोई दिनांक, महीना आदि नहीं बताया है। साक्षियों की साक्ष्य आपस में पुष्टि कारक नहीं है। उक्त आधारों पर अपील स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश दि0-15/11/2016 को अपास्त करते हुए अभियुक्तगण को दोषमुक्त करते हुए अर्थदण्ड की राशि वापिस कराये जाने का आदेश दिये जाने की प्रार्थना की गयी है।

8. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा आलोच्य दोषसिद्धि एवं दण्डादेश उचित बताते हुए अपील निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

9. इस संबंध में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत उभयपक्ष की साक्ष्य पर विचार किया गया। विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा साक्षियों की साक्ष्य की आपस में पुष्टि होना मान्य किया है तथा यह प्रमाणित पाया है कि अभियुक्तगण ने फरियादी को मां बहिन की अश्लील गालियां दी तथा उसकी लातघूसों से मारपीट की। वहीं पैरा-18 में धारा-451 एवं धारा-506 भाग-2 भा0द0सं0 के अपराध प्रमाणित होना नहीं पाये हैं।

10. फरियादी भगवानसिंह अ.सा.-1 ने केवल यह बताया है कि अभियुक्तगण उसके दरवाजे पर आ गये और उससे बोले कि मादरचोद तुम तारीख पर क्यों गये, फरियादी ने गाली देने से मना किया तो अभियुक्तगण ने उसकी मारपीट की, जिससे कमर, सिर व सीने में चोटें आयीं थीं। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना मौ में की थी जो प्रदर्श पी.-1 है। इस प्रकार प्रमुख साक्षी फरियादी भगवानसिंह अ. सा.-1 ने केवल मां की गाली देना एवं अभियुक्तगण द्वारा मारपीट

करना बताया है यह बताया ही नहीं है कि मारपीट किस प्रकार व किस हथियार से की गयी । लात घूसों से मारपीट करने की कोई साक्ष्य नहीं दी है। प्र.पी.-1 में कैलाश, संतोष, कलियान द्वारा लात घूसों से मारपीट करना बताया है, मेहरबान के द्वारा मारपीट करने के कोई तथ्य नहीं हैं। जबकि भगवानसिंह अ.सा.-1 सभी अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट करना बताता है। इस प्रकार भगवानसिंह अ.सा.-1 की साक्ष्य की पुष्टि प्र.पी.-1 से कतई नहीं हो रही है।

11. भगवानसिंह अ.सा.-1 ने सभी अभियुक्तगण द्वारा मां की गाली देना बताया है, जबकि प्र.पी.-1 की रिपोर्ट में कैलाश के द्वारा गाली देना बताया गया है। फिर बाद में मेहरबान के द्वारा मां की गाली देना बताया गया है, इस प्रकार भगवानसिंह अ.सा.-1 ने घटना के विशिष्ट तथ्य बताये ही नहीं हैं कि किस अभियुक्त ने गालियां दी, किसने मारपीट की, किस हथियार से मारपीट की गयी । भगवानसिंह अ.सा.-1 ने लातघूसों से मारपीट करने कोई साक्ष्य नहीं दी है।

12. कमलसिंह अ.सा.-2 को अभियोजन की ओर से चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस कारण वह घटना का महत्वपूर्ण साक्षी हो जाता है। अभियोजन के अनुसार उसके सामने ही मारपीट की घटना हुई है। परंतु मुख्य परीक्षण में ही उसने यह बताया है कि वह दि0-28/03/2014 को तारीख पेशी करके देर शाम घर पहुंचा तो भगवानसिंह ने उसे बताया कि अभियुक्तगण कैलाश, मेहरबान व कलियान व करू ने भगवानसिंह की मारपीट की थी। इस प्रकार यह साक्षी चक्षुदर्शी साक्षी नहीं होना प्रकट व प्रमाणित होता है जबकि अभियोजन उसे चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। ऐसी स्थिति में अभियोजन की ओर से की गयी कार्यवाही निश्चित तौर पर संदिग्ध व संदेहास्पद हो जाती है।

13. लालू अ.सा.-3 को भी अभियोजन की ओर से चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लालू अ.सा.-3 ने यह बताया है कि अभियुक्तगण कैलाश, कलियान, मेहरबान व संतोष भगवानसिंह को मां बहिन की अश्लील गालियां दे रहे थे, तथा भगवानसिंह ने अभियुक्तगण को गाली देने से मना किया तो अभियुक्तगण ने भगवानसिंह की लात घूसों से मारपीट कर दी । जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.-1 में पूर्व में कैलाश द्वारा मां की अश्लील गाली देने एवं बाद में मेहरबान के द्वारा मां की अश्लील गालियां देने के तथ्य हैं। संतोष व कलियान द्वारा गाली देने के कोई तथ्य ही नहीं हैं। इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य से भी अभियोजन घटना की पुष्टि नहीं हो रही है।

14. लालू अ.सा.-3 के पुलिस कथन में सभी अभियुक्तगण के द्वारा भगवानसिंह को मां बहिन की गाली देने का तथ्य है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.-1 में केवल कैलाश व मेहरबान के द्वारा गाली देने का तथ्य है, जिससे कि यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियोजन की ओर से बाद में सुधार किया गया है और पुलिस कथन में सभी

अभियुक्तगण के द्वारा गालियां देने का तथ्य बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार अभियोजन ही अपने मामले पर स्थिर नहीं है।

15. लालू अ.सा.-3 ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय कमलसिंह घटनास्थल पर मौजूद था, परंतु वहीं कमलसिंह अ.सा.-2 प्रतिपरीक्षण में यह कहता है कि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। निश्चित है कि या तो लालू अ.सा.-3 असत्य कथन कर रहा है या कमलसिंह अ.सा.-2 असत्य कथन कर रहा है अथवा अभियोजन की ओर से कमलसिंह अ.सा.-2 एवं लालू अ.सा.-3 को असत्य रूप से चक्षुदर्शी साक्षियों के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। अभियोजन की ओर से इन दोनों को चक्षुदर्शी साक्षियों के रूप में असत्य रूप से प्रस्तुत कर देने का तथ्य ज्यादा सही प्रतीत होता है क्योंकि अन्य चक्षुदर्शी साक्षी पातीराम अ.सा.-4 प्रतिपरीक्षण में यह बताता है कि घटनावाले दिन और घटना के समय उसने कमलसिंह को नहीं देखा था और घटना के पूरे दिन कमलसिंह उसे नहीं मिला।

16. पातीराम अ.सा.-4 यह बताता है कि भगवानसिंह को चार जगह चोटें थी अर्थात् छाती, दोनों भुजाओं, कमर एवं दाहिनी बगल में चोटें थीं, जबकि भगवानसिंह अ.सा.-1 कमर में, सिर में व सीने में चोट आना बताता है। इस प्रकार चोट आने के संबंध में भी फरियादी भगवानसिंह अ.सा.-1 की साक्ष्य की पुष्टि पातीराम अ.सा.-4 की साक्ष्य से नहीं हो रही है। इस मामले में भगवानसिंह को आई चोटों के संबंध में किसी चिकित्सीय साक्षी की साक्ष्य नहीं करायी गयी है, और न ही कोई मेडीकल रिपोर्ट प्रमाणित करायी गयी है, ऐसी स्थिति में भगवानसिंह अ.सा.-1 को चोटें आना भी प्रमाणित नहीं होता है, इन तथ्यों पर विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

17. निहालसिंह अ.सा.-5 औपचारिक साक्षी है जिसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.-1 लिखी गयी। अवनीश शर्मा अ.सा.-6 भी औपचारिक साक्षी है जिसने प्रकरण की विवेचना करना बताया है। परंतु फरियादी एवं अन्य साक्षियों की साक्ष्य से अभियोजन घटना की पुष्टि नहीं हो रही है, तब ऐसी स्थिति में इन औपचारिक साक्षियों की साक्ष्य का कोई महत्व नहीं है। वहीं बचाव साक्षी सीताराम व.सा.-1 यह बताता है कि भगवानसिंह आदि ने अभियुक्तगण के विरुद्ध खेती की रंजिश पर से झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराया था। इस संबंध में भगवानसिंह अ.सा.-1 ने पैरा-2 में ही यह स्वीकार कर लिया है कि पहले के मुकदमे से अभियुक्तगण से उसकी रंजिश चल रही है। इस प्रकार इस मामले में उभयपक्ष के मध्य रंजिश होना भी प्रमाणित है।

18. लालू अ.सा.-3 ने यद्यपि यह बताया है कि अभियुक्तगण ने भगवानसिंह की लातघूसों से मारपीट की, वहीं फरियादी भगवानसिंह अ.सा.-1 ने स्वयं की लातघूसों से मारपीट करने की कोई साक्ष्य

नहीं दी है। लालू अ.सा.-3 यह भी कहता है कि कैलाश ने जान से मारने की धमकी दी, जबकि भगवानसिंह अ.सा.-1 यह कहता है कि मेहरबान ने कहा कि अगर तू रिपोर्ट करने गया तो तुझे जान से खत्म कर देंगे। जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.-1 में कैलाश के द्वारा जान से मारने की धमकी देने के तथ्य हैं। इस प्रकार अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य की पुष्टि न तो आपस में हो रही है और न ही फरियादी भगवानसिंह अ.सा.-1 की साक्ष्य की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.-1 से हो रही है। विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इन तथ्यों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया है। इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत की गयी संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई मामला प्रमाणित नहीं हो रहा है।

19. उपरोक्त इन सभी तथ्यों एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य पर विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया है और साक्ष्य की विवेचना किए जाने में भूल कारित की है। विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा फरियादी भगवानसिंह अ.सा.-1 की साक्ष्य की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट से न होने, भगवानसिंह द्वारा मारपीट के विशिष्ट तथ्य न बताये जाने, अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य की पुष्टि आपस में न होने, अभियोजन साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से न होने, उभयपक्ष के मध्य आपस में रंजिश होने, अभियोजन मामला स्वयं में स्थिर न होने के तथ्य आदि पर ध्यान न देकर वैधानिक त्रुटि कारित की है।

20. इस प्रकार विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अभियुक्तगण को फरियादी भगवानसिंह एवं अन्य लोगों को मां बहिन की अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित करने तथा भगवानसिंह को स्वेच्छया उपहति कारित करने के सामान्य आशय के अग्रसरण में भगवानसिंह की लातघूसों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित करने के अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराकर वैधानिक त्रुटि कारित की है। अतः ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि एवं दण्डादेश वैधानिक त्रुटि से ग्रसित होने के कारण हस्तक्षेप किए जाने योग्य है।

21. अतः अपीलार्थी/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत की गई यह अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई उक्त दोषसिद्धि एवं किए गए दण्डादेश को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी/अभियुक्तगण को भा0द0सं0 की धारा-294 एवं 323 सहपठित 34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

22. अपीलार्थीगण के जमानत मुचलके उन्मोचित किए जाते हैं।

23. अपीलार्थी/अभियुक्तगण प्रत्येक के द्वारा दो-दो सौ रूपए की राशि विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जमा कराई गई है।

उक्त कुल राशि आठ सौ रूपए है। उक्त जमा की गई अर्थदण्ड की राशि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को पुनरीक्षण अवधि पश्चात वापस की जावे।

24. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ भी नहीं है।

25. निर्णय की प्रति के साथ विचारण/अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापस किया जावे।

निर्णय न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद, जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद, जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)